न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा

पीठासीन अधिकारी :- बृजेश कुमार मंगल (आर.ए.एस)

मुकदमा नम्बर : 49/2020

उत्तानी पुत्र व मुख्य सतबीर पुत्र हरीओम जाति राजपूत निवासी अम्बरपुर तहसील राजाखेड़ा - - - वादी

बनाम

1- भूपसिंह पुत्र रोशन सिंह जाति ठाकुर निवासी डोंगरपुर तहसील राजाखेड़ा जिला - धौलपुर।

2- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजाखेड़ा व हौसियर लैण्ड होल्डर

- - - प्रतिवादीगण

दावा स्वत्व घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :- श्री विजयप्रकाश श्रीवास्तव वकील वादी

उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा

निर्णय   दिनांक :- 11-01-2021

वादी ने अपना अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट इस न्यायालय में इन तथ्यो के साथ पेश किया कि विवादित आराजी ख०नं० 421/72 रकबा 2-00 बीघा वाके ग्राम डोंगरपुर तहसील राजाखेड़ा का वादी खातेदार काश्तकार एव काबिज काश्त है। वादी ने विवादित आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एक लाख रुपये में भूपसिंह पुत्र रोशन सिंह जाति ठाकुर निवासी डोंगरपुर से क्रय की है तथा कब्जा प्राप्त किया है। विक्रय पत्र दिनांक 8-6-2010 को हुआ है। तभी से वादी इस आराजी पर निरन्तर काबिज है। वादी ने अपना बयनामा नामान्तकरण हेतु पटवारी हल्का को दे दिया था जिसने नामान्तकरण संख्या 502 दर्ज कर वादी का बयनामा वापस कर दिया। पटवारी ने नामान्तकरण खोलते समय सम्पूर्ण आराजी के स्थान पर 1/2 हिस्से का नामान्तकरण खोल दिया है जो गलत है एव अवैध है। वादी पूरे हिस्से पर काबिज है।

उपखण्डाधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

क्रमश: - 2

दावा दायरी से 8 दिन पूर्व जब वादी विवादित आराजी की देखभाल कर रहा था तो प्रतिवादी सं. 1 हाथ में लाठी लेकर आ गया तथा विवादित आराजी के कब्जा काश्त में बाधा पैदा की तथा उसके नाम गलत/फर्जी इन्द्राजात कपटपूर्ण/इन्द्राजात के आधार पर भूमि को रहन बय करने की धमकी दी। तब वादी ने राजस्व रिकार्ड की नकलें प्राप्त की और उसे गलत इन्द्राजात की जानकारी हुई। इस गलत इन्द्राजात के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 को कोई हुकूक हासिल नहीं रहे है। अतः राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज को दुरुस्त कराने के लिए एवं प्रतिवादी संख्या 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के लिए न्यायालय में यह दावा पेश किया है। दावा के अंत में दावा डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी अपने अभिभाषक के साथ न्यायालय में उपस्थित आया। पक्षकारान की ओर से एक राजीनामा न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी के दावा को वादी के पक्ष में डिक्री करने पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं होना बताया है तथा दावा वादी के पक्ष में डिक्री करने बाबत निवेदन किया गया है। सरकार की ओर से कोई जबाव पेश नहीं किया गया।

साक्ष्य वादी में दस्तावेजी साक्ष्य में असल बयनामा द्वारा भूपसिंह पुत्र रामनाथसिंह जाट नि. डोंगरपुर बहक सत्यवीर आदि पुत्र हरीओम राजपूत नि. अम्बरपुर तहसील दिनांक 8/6/2010 नकल कोरे प्रति जमाबन्दी खसरा नं. 502 ग्राम डोंगरपुर, नकल जमाबन्दी सं 2071-75 ग्राम डोंगरपुर, नकल जमाबन्दी सं 2067 ग्राम डोंगरपुर की कोई तथा नकल जमाबन्दी सं० 2074-2077 ग्राम डोंगर पुर भी पेश की है।

बहस विद्वान अभिभाषक वादी सुनी गयी। वकील वादी द्वारा अपनी बहस में वादपत्र के कथनों को दोहराया तथा प्रस्तुत दस्तावेज एवं प्रतिवादी सं. 1 के राजीनामा से दावा को पूरी तरह साबित होना बताते हुए दावा डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया बहस वकील वादी पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड

उपखण्डाधिकारी राजाखेड़ा (धौलपुर)

(3)

असल बयनामा द्वारा मुन्तकिल तस्दीकी दिनांक 8-6-2010 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि मुन्तकिल ने आराजी नं 421/72 रकबा 2-00 बीघा स्थित ग्राम डोंगरपुर का सम्पूर्ण भाग ही वादी सतवीर को विक्रय किया है उसका 1/2 भाग नहीं किया है। नामान्तकरण संख्या 502 में पटवारी द्वारा जो नामान्तकरण वादी सतवीर के नाम खोला है उसमें बयनामे के आधार पर 1/2 भाग दर्शाया गया है। यह गलत एवं अवैध है। इससे वादी के हकूक समाप्त नहीं होते हैं। वादी मुताबिक बयनामा उक्त आराजी के सम्पूर्ण भाग पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का विधिवत अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 भी इससे सहमत है। इसलिए हम दावा वादी विधिसम्मत होने के कारण डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि दावा वादी डिक्री किया जाकर विवादित आराजी ख० नं 421/72 रकबा 2-00 बीघा स्थित ग्राम डोंगरपुर तहसील राजाखेड़ा का वादी को सम्पूर्ण 2-00 बीघा भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी सं. 1 मुन्तकिल के 1/2 भाग पर दर्ज खातेदारी के नाम को कलमजद किया जाकर उक्त आराजी पर एकाकी रूप से वादी को पूर्ण भाग खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। मुताबिक डिक्री पालना हेतु तहसीलदार राजाखेड़ा को परवाना जारी हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। हुक्म सुनाया गया।

यह निर्णय आज दिनांक 11-1-2011 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजेश कुमार मंगल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा